



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 42/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2015/00070

प्रार्थीया

अप्रार्थीगण

इन्द्रा पुत्री स्व. रावताराम उर्फ राजू,
जाति-कलबी, निवासी-प्रतापपुरा,
तहसील-सांचौर, जिला-जालोर

सवाराम वल्द अमराराम, वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :- 04.12.2015

उपस्थिति :-


1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र दहिया उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 11 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 13.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि गांव सांचौर, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर के पुराना खसरा संख्या 691 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 700 रकबा 62 बीघा 19 बिस्वा जुमले रकबा 113 बीघा 11 बिस्वा जमीन खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 में अमरा वल्द हीरा कौम कलबी साकिन प्रतापपुरा के नाम खातेदारी दर्ज हुई। अमरा वल्द हीराजी के तीन बेटे सवा, भूरा व मोड़ा हैं। गांव प्रतापपुरा में व गांव हाड़ेतर में भी अमरा वल्द हीरा कौम कलबी के नाम अन्य जमीन थी। गांव प्रतापपुरा में पुराना खसरा संख्या 8 रकबा 44 बीघा 2 बिस्वा जमीन अमरा वल्द हीरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। अमरा वल्द हीरा के तीनों बेटो सवा, भूरा व मोड़ा ने आपस में अपनी पुश्तैनी भूमि का बंटवाड़ा कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 15.11.1977 के जरिये खसरा नंबर 684 में से 11 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 691 में से 8 बीघा व खसरा नंबर 700 में से 4 बीघा कुल 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन सड़क में चली जाने से पीडब्ल्यूडी के नाम खातेदारी दर्ज की तथा शेष जमीन बदस्तुर खातेदारी संवत् 2033 से 2036 की जमाबंदी में अंकित रही। नामान्तरकरण संख्या 609 दिनांक 30.06.1981 के जरिये सवा भूरा मोड़ा के बजाय गांव सांचौर के खाता संख्या 474 की जमाबंदी में अंकित जमीन जरिये बंटयाड़ा सवा, भूरा, मोड़ा के बजाय अलग अलग दर्ज हुई, जिसमें खसरा संख्या 691, खसरा

राज्यपाल (सांचौर)
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)



संख्या 700 रकबा 101 बीघा 11 बिस्वा जमीन सवा वल्द अमरा के नाम जमाबंदी में खातेदारी की दर्ज हुई। जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 दावा के साथ पेश है। पुराना खसरा संख्या 691 व 700 मौजा सांचौर की जमीन पुश्तैनी खानदानी की जमीन आई होने से एवं प्रार्थीया के परदादा अमला वल्द हीरा की खातेदारी की आई होने से इस भूमि में प्रार्थीया का बाई बर्थ हक व हिस्सा आया होने से यह जमीन इस प्रार्थना पत्र में विवादित है। अतः प्रार्थना-पेश कर निवेदन है कि मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचौर में प्रार्थीया के बाप दादाओं का जन्मसिद्ध हकहकूक एवं कब्जाकाशत मालिकाना हकहकूक के खेत के नवीन खाता संख्या 293 के खसरा नंबर 2144 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2145 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2345/3504 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2822 रकबा 0.1111 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2824 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2825 रकबा 4.0250 हैक्टेयर इस खाते का कुल रकबा 6.0861 हैक्टेयर व इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 203 के खसरा नंबर 2773 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2774 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2782 रकबा 0.035 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2783 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2784 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2785 रकबा 0.88 हैक्टेयर इस खाते का कुल रकबा 2.2550 हैक्टेयर, इसी ग्राम के खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 2827 रकबा 2.010 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3742/2822 रकबा 0.2450 हैक्टेयर इस खाते का कुल रकबा 2.2550 हैक्टेयर, इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 311 के खसरा नंबर 3745/2785 रकबा 2.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3746/2774 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3747/2782 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, इस खाते का कुल रकबा 2.2550 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 85 के खसरा नंबर 3743/2825 रकबा 2.2550 हैक्टेयर व इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 3749/2822 रकबा 0.1639 हैक्टेयर इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 3744/2825 रकबा 0.48 हैक्टेयर की जमीन का अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काशत में दखल पैदा नहीं करें एवं बेदखल नहीं करे एवं कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बैचान, हस्तांतरण, तर्क, वसीयत, रहन नहीं करे तथा न ही संपरिवर्तन की कार्यवाही करें एवं वादग्रस्त आराजी का किसी प्रकार का दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 8 व 9 पंजीयन नहीं करें। उक्त कार्य अप्रार्थीगण न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य मजदूर एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें। वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 व 7 के जवाब प्रार्थना-पत्र व काउण्टर क्लैम पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व हम अप्रार्थी का जन्मसिद्ध हक हकूक अधिकार है जिससे जरिये काउण्टर क्लैम 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावें। प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमावें तथा अप्रार्थी के पुश्तैनी कब्जाकाशत सुदा, उपयोग उपभोग में अवरोध व विघ्न न तो दिगर अप्रार्थीगण स्वयं पैदा करें तथा न ही अन्य किसी मजदूर, एजेन्ट, प्रतिनिधि से करावें तथा न कच्चा पक्का निर्माण करें तथा न ही

सहायक (उपरान्त) सांचौर (उपरान्त) सांचौर

तारबन्दी तोड़े। इस आशय की काउण्टर टी.आई. मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी के पक्ष में व दिगर अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम माखुपुरा के खसरा नंबर 3742/2822, 3743/2825, 3744/2825, 3745/2785, 3746/2774, 3747/2782, 2144, 2145, 2345/3504, 2773, 2774, 2782, 2783, 2784, 2785, 2822, 2824, 2825, 2827 की आराजी का अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
महायुक्त कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

महायुक्त कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

